

(शाजसमान भू-शाजस्य अधिनियम, 1888 के नियम 138 के अन्तर्गत)

शाजस्य रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

क्र. सं.	शाजा सं०	ससरा नंबर	रकता	समान शाति का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	तिथि
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.
1	24	116	0-0759	<p>शुद्धि रज गजुलाल दि- 1/4 एलि-जाली गा. आशुरोड रज शाजसमान मद्रहाडा गामिणी बड शाखा- आशुरोड</p>	<p>शुद्धि रज गजुलाल दि 1/4 एलि-जाली सा. आशुरोड रज-शाजसमान गामिणी बड शाखा-आशुरोड</p>	<p>11/11/2026</p>

मुद्राधिक भिसल/अध्याय-दी संघत 2074-2077 से 2076 से (आ) के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 138 राज० नू० शाजस्य अधिनियम 1888 के अन्तर्गत शीमान उपखण्ड अधिकारी महादय अलवर के समक्ष अर्पण योग्य है।

महसूल (अ. 31.)
श्री. महादय अलवर
मु० शाजस्य अधिकारी
दिनांक 12/02/2026

साथिक शाजस्य रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिकॉर्ड मद्रहाडी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार अर्ग में शुद्धि किया जाना उचित है।

श्री. मु० शाजस्य अधिकारी
दिनांक 11/2/2026

मद्रहाडा मु० शाजस्य अधिकारी रिकॉर्ड व साथिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण पन्नाबस्त सक्षिपस्यो के दायन पूर्व फा होवे से शीमान उपखण्ड अधिकारी महादय अलवर को सादर प्रेषित है।

श्री. शाजस्य अधिकारी
महसूल (अ. 31.)
दिनांक 11/2/2026

मुद्राधिक अधिकारी की रिकॉर्ड व साथिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार मुद्राकरण किसे जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। अतः उपरोक्तानुसार में अर्पण किया जावे।

श्री. महादय अलवर
मु० शाजस्य अधिकारी
उपखण्ड कार्यालय आशुरोड